ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-6* September-2021
Anthology : The Research

पंचायतीराज में महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिता

Participation of Women's Representatives in Panchayati Raj

Paper Submission: 11/09/2021, Date of Acceptance:23/09/2021, Date of Publication: 24/09/2021

आनंद कुमार भारतीय
अतिथि व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय, गुना, भारत

सारांश

नारी मानव जाति की जननी और धात्री है, वह जीवन का स्रोत है, वह सामाजिक जीवन की धुरी है। भारतीय समाज व्यवस्था में अतीतकाल से उसको अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान एवं प्रस्थिति प्रदान की गयी थी। यह सच है कि जिस समाज व राष्ट्र में महिलाओं की सहभागिता होती है, वह समाज व राष्ट्र निरंतर उन्नति करता है। सृष्टि की मेरूदण्ड समझी जाने वाली नारी किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है एवं विकास की संपूर्ण अवधारणाएं, महिलाओं की सहभागिता के बिना अपूर्ण होती है। महिलाओं की सहभागिता के महत्व को पूर्णता से समझ लिया जाये तो राष्ट्र एक नये प्रगतिपथ की ओर प्रवाहित हो जायेगा। तुषारकांत मिश्र के अनुसार- ‘‘किसी भी देष की प्रगति और संपन्नता पुरूषों और महिलाओं की समानता व सहभागिता पर निर्भर करती है।

Woman is the mother and mother of mankind, she is the source of life, she is the pivot of social life. He was given a very important place and status in the Indian social system from the past. It is true that the society and nation in which women participate, that society and nation progress continuously. Women, who are considered to be the backbone of the universe, are an important part of any society or nation and the entire concept of development is incomplete without the participation of women. If the importance of women's participation is fully understood, then the nation will flow towards a new path of progress. According to Tusharkant Mishra- “The progress and prosperity of any country depends on equality and participation of men and women.

मुख्य शब्द : सहभागिता, समानता, प्रतिनिधित्व, पंचायतीराज
Keywords: Participation, Equality, Representation, Panchayati Raj

प्रस्तावना

भारत में संविधान निर्माताओं द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस शासन प्रणाली में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से केन्द्र राज्य तथा स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था का संचालन करती है। जनता द्वारा निर्वाचित ये जनप्रतिनिधि केवल पुरूष वर्ग से ही नहीं होना चाहिए। वरन् महिलाओं को भी शासन के हर स्तर पर सहभागिता प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्र के उत्थान में भारतीय नारियों के योगदान की कहानी बहुत पुरानी और लंबी है। भारतीय नारियों ने भारत की पुरातन संस्कृति और परम्परा को सदैव कायम रखा है और धरोहर के रूप में उसे नई पौध को सौंपा है।

इतिहास साक्षी है कि आदिकाल में भी नारी में नेतृत्व क्षमता थी। पूर्व वैदिक काल में विष्वरा, घोषा, अपाला, सिकता इत्यादि नारियों ने समााज को दिषा दिखाई थी। उत्तरवैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी आदि नारियों ने वाद-विवाद में याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों के बराबरी की तर्कक्षमता, ज्ञान एवं संयम का परिचय दिया। स्वतंत्रता के पूर्व और बाद के काल में भी नारियों ने परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए सदैव ही जागरूकता, कर्त्तव्य परायणता, धैर्य, सहिष्णुता, साहस, त्याग व बलिदान, दया, प्रेम, करूणा जैसे उच्च नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिस्थापन किया। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि आदिकाल से लेकर आज तक चाहे वह सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, नैतिक, कला का क्षेत्र हो या विषुद्ध समाज सेवा का, कोई भी क्षेत्र स्त्रियों की सृजन परिधियों से अछूता नहीं रहा है। मीराबाई, जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रमाबाई रानाडे, सरोजनी नायडू, सुभ्रद्राकुमारी चौहान, रानी दुर्गावती, श्रीमति ऐनीबिसेन्ट, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा जैसी अनेक नारी विभुतियों ने अपना सर्वस्व राष्ट्र समाज और मानव जाति के उत्थान हेतु अर्पण कर दिया। आज भी भारतीय समाज एवं राजनीति में महिलाओं के योगदान की श्रेष्ठ परम्परा कायम है।

समुदाय में महिलाओं की सहभागिता प्रारंभ से ही सषक्त रही है। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, कृषि व आर्थिक कार्यों में महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यरत रहती है। महिलाओं की स्थिति में विभिन्न कालों या युगों में परिवर्तन अवष्य हुआ है लेकिन उनकी सामुदायिक सहभागिता में सक्रियता किसी भी काल में कम नहीं हुई है।[1]

राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका और उनकी स्थिति पर विचार करने के बाद ‘‘कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वूमन ऑफ इंडिया’’ में कहा था- समाज और राजनीति में महिलाओं की स्थिति बताती है कि संविधान में उन्हें पुरूषों के समकक्ष दर्जा देकर जिस क्रांति की आषा की गई थी। वह अब भी बहुत दूर है। ज्यादातर महिलाओं के पास अभी भी ऐसे प्रवक्ता नहीं है जो

उनकी विषिष्ट समस्याओं को समझा सके तथा राज्य की प्रतिनिधि संस्थाओं में उनकी समस्याओं को उठाने और हल करने के प्रति समर्पित हो।[2]

अध्ययन का उद्देश्य

पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिता वर्तमान में शासन के नीति-निर्माताओं ने इस मूल मंत्र को समझा की ग्रामीण व स्थानीय विकास तभी संभव है जब समाज रूपी गाड़ी के दूसरे पहिये महिला समाज को भी पंचायती राज संस्थाओं में सहभागिता प्रदान की जाये नारी मानव जाति की जननी और धात्री है। शोध पत्र का उद्देष्य मुख्य रूप से महिला पुरूषों के समान सहभागिता करे। इनमें कोई असमानता न हो और राजनीति में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिले।

वर्तमान में शासन के नीति-निर्माताओं ने इस मूल मंत्र को समझा की ग्रामीण व स्थानीय विकास तभी संभव है जब समाज रूपी गाड़ी के दूसरे पहिये महिला समाज को भी पंचायती राज संस्थाओं में सहभागिता प्रदान की जाये क्योंकि महात्मा गांधी अपनी पुस्तक "हिंद स्वराज्य" में लिखते है कि स्त्री पुरूष की संगिनी है, जिसकी बौद्धिक क्षमतायें पुरूष की बौद्धिक क्षमताओं से किसी तरह कम नहीं है। उसे विकास की प्रवृत्तियों के प्रत्येक अंग और उपांग में भाग लेने का अधिकार है, साथ ही आजादी तथा स्वाधीनता का उसे उतना ही अधिकार है। जितना समाज में पुरूषों को है।[3]

साहित्यावलोकन

विकास समाज की मांग है विकास योजनाबद्ध तरीके से किये जाने पर सार्थक होता है और समाज की प्रत्यके इकाई विकास से लाभांवित होती है। आज विकास के संदर्भ में एक नई सोच और अवधारणा समाज में विकसित हुई है कि विकास कार्यों में जनसहभागिता प्रारंभ करने के लिए देष की आधी जनसंख्या अर्थात महिलाओं को विकासात्मक प्रक्रिया का अंग बनाया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता के विकेन्द्रीकरण का नाम "स्थानीय स्वषासन व्यवस्था" है। स्थानीय स्वषासन संस्थाएं भारतीय ग्रामीण व नगरीय सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार स्तंभ है।[4]

संविधान संशोधन की सबसे महत्वपूर्ण विषेषता है महिलाओं को जागरूक बनाने ओर उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिये यह आवष्यक समझा गया कि उन्हंे लोकतंत्र के आधारभूत स्तर स्थानीय स्वषासन में सहभागिता प्राप्त होनी चाहिए अतः बलवंतराय मेहता कमेटी के सुझाव को स्वीकार करते हुए महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से सहभागिता प्रदान कर उनकी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी सुनिष्चित की गई। वास्तव में महिलाओं को सहभागिता प्रदान कर उनकी छुपी हुई ऊर्जा को उभारने का प्रयास किया जा रहा है।

स्थानीय स्वषासन संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता से एक ओर तो राष्ट्र व समाज का सर्वांगीण विकास होगा, तो दूसरी ओर महिलाओं की कार्यक्षमता का विकास होगा और निर्णय लेने में दृढ़ता आयेगी। उनकी राजनैतिक जागरूकता, आत्मविष्वास, कर्मठता एवं नारी सुलभ संवेदनशीलता, निःषुल्क भूमि आवंटन, आवास निर्माण, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम, समाज विरोधी तत्वों एवं सामाजिक बुराईयों, साक्षरता कार्यक्रम आदि में अपनी भागीदारी प्रदान की है।[5]

इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सहभागिता प्रदान करना अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम है। भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है। वे राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। जब तक महिलाएं राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका तथा भागीदारी नहीं निभायेगी, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसी संदर्भ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि "यदि जनता में जागृति पैदा करना है तो पहले महिलाओं में जागृति पैदा करो। एक बार जब वे आगे बढ़ती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, गांव तथा शहर आगे बढ़ता है स्वयं सारा देष आगे बढ़ता है। [6]

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता अत्यंत आवष्यक है। वर्तमान में स्थानीय विकास में महिला जन प्रतिनिधियों ने महती भूमिका निभाई है। महिलाओं की सहभागिता के महत्व को पूर्णता से समझ लिया जाये तो राष्ट्र एक नये प्रगतिपथ की ओर प्रवाहित हो जायेगा। तुशारकांत मिश्र के अनुसार- "किसी भी देश की प्रगति और संपन्नता पुरूषों और महिलाओं की समानता व सहभागिता पर निर्भर करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *दीक्षित, ध्रुव कुमार "समाजषास्त्र" षिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, पृ. 132*
2. *जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी रूपा, भारत में पंचायती राज राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, प्रथम संस्करण 2000 पृ. 64*
3. *महात्मा गांधी हिंद स्वराज, पृ. 256*
4. *दीक्षित, ध्रुव कुमार "समाजषास्त्र" षिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, पृ. 152*
5. *जोशी, आर.पी.एवं मंगलानी रूपा भारत में पंचायतीराज राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, प्रथम संस्करण 2000 पृ. 63-66*
6. *अग्रवाल, डॉ. गोपाल कृष्ण ; समाजषास्त्र साहित्य भवन आगरा 2000, पृ. 210*